

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प0 7(30) कृषि/ग्रुप-2/2004

जयपुर दिनांक 27 MAR 2018

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.03.2017 के द्वारा फल सब्जी एवं फूल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2016-17 लागू की गई थी। उक्त योजना में सेंजना (Drumstic) को सम्मिलित करते हुए योजना की अवधि 31.03.2018 को दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,




(आर.पी.विजय)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि विपणन मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक कृषि विपणन, विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक उद्यान विभाग राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर।
8. उपनिदेशक, कम्प्यूटर, रा0रा0कृ0वि0 बोर्ड को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव